

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -

- 01- सुशीला कुमारी पुत्री श्री प्रेमसिंह पत्नि राजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 23, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
- 02- अरविन्द सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 23, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
- 03- प्रवीण सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 23, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....वादीगण.....

बनाम-

- 01- विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह मुतवना सगर सिंह जाति राजपूत निवासी 16 बीएलडी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
- 02- तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

.....प्रतिवादीगण



- उपस्थिति- 01. श्री लाजपतराय, वकील वादीगण
02. श्री शेराराम, वकील प्रतिवादीगण
03. पैराकार राज, जरिये तहसीलदार श्री विजयनगर

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

राजस्व प्रकरण संख्या -08/2017
(जी.सी.एम.एस.-2024/00090)


निर्णय दिनांक -09.10.2024

::-निर्णय :-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-
इस न्यायालय द्वारा अनवानी प्रकरण में बाद सुनवाई दिनांक 04.07.2023 को
उपखण्ड अधिकारी निर्णय पारित किया जाकर उभय पक्ष प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार
श्री विजयनगर राजस्व श्री विजयनगर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया।
जिस पर तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर के द्वारा मौका की जांच कर नया
विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त
पत्र/विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारान ने अपनी अपनी सहमति प्रकट की।
अतः तहसीलदार श्री विजयनगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान
के मध्य वादीया सुशीला कुमारी पुत्री श्री प्रेम सिंह पत्नि राजपाल सिंह जाति
राजपूत साकिन वार्ड नम्बर 23 अनूपगढ़ को चक 16 बीएलडी-ए तहसील
श्रीविजयनगर के प0न0 243/425 का किला नम्बर 1/0.253, 10/0.253,
11/0.253, 20/0.253, 21/0.043 कुल 1.055 हैक्टर मय खाता नम्बर 10/0.253
प्रवीणसिंह पुत्र श्रीप्रेम सिंह जाति राजपूत साकिन वार्ड नम्बर 23 अनूपगढ़ को

चक 16 बीएलडी-ए तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 243/425 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 22 कुल 1.265 हैक्टर, 21/0.210, 23/0.106 हैक्टर कमाण्ड मय खाला, वादी अरविन्दसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत साकिन वार्ड नम्बर 23 अनूपगढ़ को चक 16 बीएलडी-ए तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 243/425 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18 कुल 1.012 हैक्टर, 23/0.147, 24/0.169 कुल 1.328 हैक्टर मय खाला एवं प्रतिवादी विजेन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत साकिन 16 बीएलडी को चक 16 बीएलडी-ए तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 243/425 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 25 कुल 2.277 हैक्टर, 24/0.084 हैक्टर कुल 2.361 हैक्टर कृषि भूमि का उक्तानुसार विभाजन स्वीकार किया जाकर खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाता है। खुला विभाजन राजस्थान टीनेन्सी सरकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं खाले, रास्ते आदि की सुविधा प्रदान करते हुए तहसीलदार श्री विजयनगर भूमि विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे तथा पक्षकारान को विभाजन अनुसार कब्जा सुपुर्द करे। निर्णय आदिनांक 09.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर
श्रीविजयनगर।

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Appendix D-1)

ब अदालत उपखण्डाधिकारी (राजस्व) मुकाम-श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़
इजलास-श्रीमति शकुंतला, आर.ए.एस.

अनवान -

सुशीला कुमारी वगैरा

बनाम

विजेन्द्रसिंह वगैरा

राजस्व प्रकरण संख्या -08/2017

(जी.सी.एम.एस.-2024/00090)



मुकद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय दिनांक -09.10.2024

मुकद्मा वास्ते इनफिलास कतई रूबरू :-श्री लाजपतराय वकील वादीगण व श्री शेराराम वकील प्रतिवादी हाजरी पैरोकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर मिनजानब मुदई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है-

तहसीलदार श्री विजयनगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य वादीया सुशीला कुमारी पुत्री श्री प्रेम सिंह पत्नि राजपाल सिंह जाति राजपूत साकिन वार्ड नम्बर 23 अनूपगढ़ को चक 16 बीएलडी-ए तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 243/425 का किला नम्बर 1/0.253, 10/0.253, 11/0.253, 20/0.253, 21/0.043 कुल 1.055 हैक्टर मय खाला, वादी प्रवीणसिंह पुत्र श्रीप्रेम सिंह जाति राजपूत साकिन वार्ड नम्बर 23 अनूपगढ़ को चक 16 बीएलडी-ए तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 243/425 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 22 कुल 1.265 हैक्टर, 21/0.210, 23/0.106 हैक्टर कमाण्ड मय खाला, वादी अरविन्दसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत साकिन वार्ड नम्बर 23 अनूपगढ़ को चक 16 बीएलडी-ए तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 243/425 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18 कुल 1.012 हैक्टर, 23/0.147, 24/0.169 कुल 1.328 हैक्टर मय खाला एवं प्रतिवादी विजेन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत साकिन 16 बीएलडी को चक 16 बीएलडी-ए तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 243/425 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 25 कुल 2.277 हैक्टर, 24/0.084 हैक्टर कुल 2.361 हैक्टर कृषि भूमि का उक्तानुसार विभाजन स्वीकार किया जाकर खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाता है। खाता विभाजन राजस्थान टीनेन्सी सरकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं खाले, रास्ते आदि की सुविधा प्रदान करते हुए तहसीलदार श्री विजयनगर भूमि विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे तथा पक्षकारान को विभाजन अनुसार कब्जा सुपुर्द करे।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

नीज.....मुबलिंग.....बाबत.....
..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद शरहफिसदी
सालाना आज की तारीख से वसूलयाबी तकको
अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.10.2024 को जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर।

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दई	रूपया
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील	
महनताना वकील			खर्चा गवाह	
खर्चा गवाह			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक	
मुतफर्रिक				मिजान
मिजान				